रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102024-258369
CG-DL-E-30102024-258369

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 2024/ कार्तिक 7, 1946
No. 304] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर 2024

फा. सं. 1(3)/2024-ईजी-द्वितीय.—

भारत सरकार की ईमेल नीति, 2024

भाग I: परिचय

1. उद्देश्य और विस्तार

1.1 ईमेल, सरकारी उद्देश्यों के लिए संचार का प्राथमिक साधन है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में सार्वजनिक कर्तव्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है, साथ ही ऐसे कर्तव्यों के निष्पादन के लिए सौंपे गए कुछ अन्य संगठनों द्वारा भी किया जाता है। सरकार और ऐसे संगठनों में ईमेल के सुरक्षित उपयोग को सक्षम करने के लिए, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा ईमेल सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

1.2 यह नीति ऐसी ईमेल सेवाओं को नियंत्रित करने वाले उपयोग और उपयोग-संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर लागू होती है।

1.2.1 यह निम्नलिखित ढांचे का पूरक है जो सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईमेल समाधान की सुरक्षा पर लागू होता है:

(क) लागू कानून, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (जब इसे लागू किया जाएगा) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम या निर्देश या दिशा-निर्देश;

(ख) साइबर सुरक्षा या सूचना सुरक्षा, या दोनों से संबंधित नीतियां, प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश, जो केंद्रीय सरकार की घटना प्रतिक्रिया और साइबर सुरक्षा संबंधी कार्यों (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल) या महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र), या एनआईसी के संरक्षण के लिए नोडल एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी या अपनाए जाते हैं; और

(ग) सूचना सुरक्षा, व्यवसाय निरंतरता, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा आदि के लिए प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित मानक, जो तकनीकी मानक संगठनों द्वारा जारी किए जाते हैं और ईमेल समाधान के संबंध में समय-समय पर एनआईसी द्वारा अपनाए जाते हैं।

2. परिभाषाएं

2.1 इस नीति में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "केंद्रीय सरकार का विभाग", "न्यायालय", "निकाय", "विधायी निकाय", "अन्य प्राधिकृत संस्था", "अन्य सरकार-नियंत्रित संस्था", "सार्वजनिक शैक्षणिक या अनुसंधान संस्था", "सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संस्था", "सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम", "राज्य सरकार का विभाग" और "सांविधिक निकाय" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अनुलग्नक में दिए गए हैं;

(ख) "केंद्रीय सरकार का संगठन" से ऐसा संगठन अभिप्रेत है जो—

(i) केंद्रीय सरकार का विभाग है; या

(ii) केंद्रीय सरकार के विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में है और—

(1) सार्वजनिक शैक्षणिक या अनुसंधान संस्था है;

(2) सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संस्था है;

(3) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है;

(4) सांविधिक निकाय है;

(5) अन्य सरकार-नियंत्रित संस्था है; या

(6) अन्य प्राधिकृत संस्था है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव;

(घ) "मुख्य उपयोग संगठन" से अभिप्रेत है अनुच्छेद 3.1.1 में उल्लिखित संगठन;

(ङ) उपयोगकर्ता संगठन के संबंध में "डीए" का तात्पर्य एनआईसी के कर्मचारी के अलावा किसी लोक सेवक से है, जिसे अनुच्छेद 8.1 के खंड (क) के अंतर्गत ऐसे उपयोगकर्ता संगठन द्वारा प्रत्यायोजित प्रशासक के रूप में नामित किया गया है;

(च) "ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेश" का तात्पर्य इस नीति के अंतर्गत समय-समय पर एनआईसी द्वारा दिए गए अनुदेशों से है,—

(i) डीए और उसके संबंधित उपयोगकर्ता संगठन द्वारा अनुपालन के लिए, जैसा कि ऐसे डीए को सौंपे गए उपयोगकर्ता खाते में प्रकाशित किया गया है, जो उपयोगकर्ता संगठनों को डीए नामित करने के लिए

एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उपयोगकर्ता संगठनों और डीए के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया गया है; और

(ii) किसी उपयोगकर्ता द्वारा अनुपालन के लिए, जैसा कि ऐसे उपयोगकर्ता को सौंपे गए एनआईसीईमेल उपयोगकर्ता खाते में प्रकाशित किया गया है, जिसमें ऐसे उपयोगकर्ताओं के कर्तव्योंऔर जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया गया है;

(छ) "ईमेल नीति" से अभिप्रेत यह नीति है;

(ज) "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" या "एमईआईटीवाई" से अभिप्रेत है वह विभाग जिसे भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामलों का विषय आबंटित किया जाता है;

(झ) "एनआईसीईमेल" से अभिप्रेत है एनआईसी द्वारा प्रदान किए गए ईमेल समाधान का उपयोग करके उपलब्ध कराई गई ईमेल सेवा;

(ञ) "एनआईसीईमेल सेवाएं "से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं—

(i) एनआईसीईमेल; और

(ii) अन्य एनआईसीईमेल सेवाएं ;

(ट) "संगठन" से अभिप्रेत है एक निकाय, न्यायालय, विभाग, उपक्रम, इकाई, संस्था, मंत्रालय, कार्यालय या सचिवालय जो अनुलग्नक में वर्णित किसी भी संगठन प्रकार में सम्मिलित है;

(ठ) “अन्य एनआईसीईमेल सेवा” से अभिप्रेत एनआईसीईमेल के अलावा ऐसी सेवा है जो समय-समय पर—

(i) एनआईसी द्वारा प्रदान किए गए ईमेल समाधान के माध्यम से सभी या किसी भी वर्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाया गया है, जिसमें कैलेंडर एप्लिकेशन, ऐसे समाधान के साथ एकीकृत कार्यालय उत्पादकता उपकरण और एनआईसी द्वारा प्रदान किए गए बाह्य संग्रहण एप्लिकेशन जैसे अनुप्रयोगों का उपयोग सम्मिलित हो सकता है; और

(ii) ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों में निर्दिष्ट;

(ड) "राज्य सरकार संगठन" से अभिप्रेत है एक ऐसा संगठन जो—

(i) एक राज्य सरकार विभाग है; या

(ii) एक राज्य सरकार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में है और—

(1) एक सार्वजनिक शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान है;

(2) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संस्थान;

(3) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम;

(4) एक सांविधिक निकाय;

(5) एक अन्य सरकार-नियंत्रित इकाई; या

(6) एक अन्य अधिकृत इकाई;

(ढ) "उपयोगकर्ता" से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो एनआईसीईमेल सेवाओं का उपयोग करने के लिए अधिकृत है और जिसे इस उद्देश्य के लिए एक एनआईसीईमेल उपयोगकर्ता खाता सौंपा गया है; और

(ण) "उपयोगकर्ता संगठन" से अभिप्रेत है एक संगठन जो एनआईसीईमेल सेवाओं का उपयोग करता है।

भाग II: उपयोग की शर्तें

3. उपयोगकर्ता संगठन

3.1 उपयोगकर्ता संगठन, इस ईमेल नीति के अनुसार आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ईमेल संचार के लिए केवल एनआईसीईमेल का उपयोग करने के लिए आवश्यक हैं या नहीं, इस संदर्भ में निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं, अर्थात् :—

(क) मुख्य उपयोग संगठन; और

(ख) अन्य संगठन।

3.1.1 मुख्य उपयोग संगठनों में केंद्रीय सरकार के विभाग और ऐसी अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाएं सम्मिलित हैं जो ऐसे विभाग के समग्र नियंत्रण में हैं और वाणिज्यिक शर्तों पर सामान या सेवाएं प्रदान नहीं करती हैं। अन्यथा प्रावधान के अलावा, एक मुख्य उपयोग संगठन और उसके उपयोगकर्ता आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ईमेल संचार के लिए केवल एनआईसीईमेल का उपयोग करेंगे। हालांकि, जहां मुख्य उपयोग संगठन का भारत के बाहर कोई कार्यालय या प्रतिष्ठान है, वहां आपातकालीन परिस्थितियों में स्थानीय संचार चैनलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए (जैसे कि इंटरनेट सेवाओं में व्यवधान जिसके परिणामस्वरूप एनआईसीईमेल तक पहुंचने में असमर्थता हो सकती है), ऐसा संगठन, ऐसे कार्यालय या प्रतिष्ठान के प्रमुख के अलावा ऐसे प्राधिकारी के अनुमोदन से, जो उस संगठन में इस संबंध में सक्षम हो, ऐसे कार्यालय या प्रतिष्ठान को भारत के बाहर होस्ट की गई वैकल्पिक ईमेल सेवाओं को बनाए रखने के लिए अधिकृत कर सकता है।

3.1.2 मुख्य उपयोग संगठनों के अलावा कोई भी संगठन एनआईसीईमेल का उपयोग अपना सकता है।

3.2 मुख्य उपयोग संगठन, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संगठन भी सम्मिलित हैं, जिनके पास वर्तमान में अपने स्वयं के स्वतंत्र ईमेल सर्वर हैं, वे उसी का संचालन जारी रख सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे सर्वर भारत में होस्ट किए गए हों। इसके अलावा, सुरक्षा और समान नीति प्रवर्तन के हित में, इन संगठनों को अपनी ईमेल सेवाओं को एनआईसीईमेल सेवाओं में स्थानांतरित करने पर विचार करना चाहिए।

4. एनआईसीईमेल सेवाओं के उपयोग के लिए शुल्क

4.1 सिवाय इसके कि जहां केंद्रीय सरकार किसी संगठन या उसके वर्ग के संबंध में अन्यथा निर्णय लेती है, एनआईसीईमेल सेवाएं निम्नलिखित संगठनों के वर्गों को निःशुल्क प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:—

(क) मुख्य उपयोग संगठन;

(ख) विधायी निकाय;

(ग) न्यायालय;

(घ) सांविधानिक निकाय;

(ङ) राज्य सरकार के विभाग, और ऐसी अन्य सरकार-नियंत्रित संस्थाएं जो ऐसे विभाग के समग्र नियंत्रण में हैं और वाणिज्यिक शर्तों पर वस्तुएं या सेवाएं प्रदान नहीं करती हैं; और

(च) सांविधिक निकाय और अन्य प्राधिकृत संस्थाएं, जिनके लिए ऐसा निःशुल्क प्रावधान सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष निर्देशों द्वारा अधिकृत है।

4.2 अन्य संगठन राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र सेवा निगमित (निक्सी) या एनआईसी द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से समय-समय पर अधिकथित शुल्क का भुगतान करके एनआईसीईमेल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

5. उपयोगकर्ता खाता निर्माण

5.1 एनआईसी द्वारा एनआईसीईमेल तक पहुँचने के लिए उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल पर उपयोगकर्ता द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध की प्राप्ति पर, संबंधित उपयोगकर्ता संगठन के लिए डीए ऐसे उपयोगकर्ता को एक एनआईसीईमेल उपयोगकर्ता खाता बनाएगा और उसे सौंपेगा।

5.2 किसी उपयोगकर्ता संगठन द्वारा एनआईसीईमेल सेवाएं निःशुल्क प्रदान किए जाने के संबंध में (अनुच्छेद 4.1 देखें), उपयोगकर्ता को सौंपे गए एनआईसीईमेल ईमेल पते निम्नलिखित दो प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात्:—

(क) संगठन-बद्ध ईमेल पता; और

(ख) सेवा-बद्ध ईमेल पता।

5.2.1 संगठन-बद्ध ईमेल पतों के संबंध में नीति अनुच्छेद 5.3.2(क) और 5.4 से 5.6.3 में अधिकथित की गई है। सेवा-बद्ध ईमेल पतों के संबंध में नीति अनुच्छेद 5.3.2(ख) और 5.7 से 5.7.2 में अधिकथित की गई है।

5.3 अधिकांश कोर उपयोग संगठन वर्तमान में सामान्य मेल डोमेन का उपयोग करते हैं, अर्थात्, "@gov.in" और "@nic.in", और केवल कुछ ही संगठन-विशिष्ट मेल डोमेन जैसे "@xyz.gov.in" और "@xyz.nic.in" (जहाँ "xyz" अल्फ़ान्यूमेरिक वर्णों की किसी भी श्रृंखला का द्योतक है) का उपयोग करते हैं। उपयोगकर्ताओं द्वारा एनआईसीईमेलउपयोगकर्ता खातों का उपयोग सामान्य ईमेल डोमेन के साथ कार्यकाल के दौरान जारी रखने के कारण, ऐसे खातों में संग्रहित संगठन-विशिष्ट जानकारी संबंधित संगठन के लिए अप्राप्य हो जाती है। इसके अलावा, डोमेन विभाजन की कमी और उपयोगकर्ताओं को उनके वर्तमान संगठनों में मैप करने के परिणामस्वरूप घटना की प्रतिक्रिया में देरी होती है और संगठन-विशिष्ट सुरक्षा नीतियों, उपयोगकर्ता व्यवहार पर निगरानी और दृश्यता का कार्यान्वयन नहीं हो पाता है।

5.3.1 सामान्य मेल डोमेन से संबंधित इन मामलों के अलावा, डोमेन नाम "@nic.in" और "@xyz.nic.in" के उपयोग में बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि एनआईसी सहित ऐसे सभी संगठन सरकारी संगठन हैं।

5.3.2 इसलिए, उपयोगकर्ता संगठन जो वर्तमान में मेल डोमेन "@gov.in", "@nic.in" या "@xyz.nic.in" का उपयोग करते हैं, अनुच्छेद 5.3.5 में निर्दिष्ट के अलावा, उक्त मेल डोमेन वाले एनआईसीईमेल उपयोगकर्ता खातों को मेल डोमेन "@xyz.gov.in" वाले नए ईमेल पते देंगे। मौजूदा ईमेल पतों पर भेजे गए ईमेल की निरंतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, पुराने ईमेल पतों को नए ईमेल पतों से मैप किया जाएगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आधिकारिक संचार के लिए निर्दिष्ट उपयोगकर्ता खाते संबंधित संगठन के लिए सुलभ रहें और संगठन-विशिष्ट सुरक्षा उपाय किए जा सकें, नए मेल डोमेन का प्रारंभिक "xyz" भाग संबंधित संगठन द्वारा एनआईसी के साथ मोटे तौर पर निम्नलिखित अनुसार पंजीकृत किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) संगठन से जुड़े ईमेल पतों के संबंध में, जिनका उपयोग केवल आधिकारिक संचार के लिए किया जा सकता है, मेल डोमेन का ऐसा प्रारंभिक भाग संबंधित संगठन या संगठनों के समूह का नाम दर्शाएगा जो या तो संबंधित हैं या जिन्होंने मेल डोमेन साझा करना चुना है। उदाहरण के लिए, एमईआईटीवाई ने मेल डोमेन "@meity.gov.in" पंजीकृत किया है और भारत भर में विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए, मेल डोमेन "@panchayat.gov.in" पंजीकृत किया गया है।

(ख) सेवा-बद्ध ईमेल पतों के संबंध में, जिनका उपयोग केवल सेवा-संबंधी मामलों के लिए किया जा सकता है, ऐसे प्रारंभिक भाग में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं,—

(i) जहां उपयोगकर्ता ऐसे ईमेल पते के लिए पात्र है (अनुच्छेद 5.7.1 देखें) और ऐसी सेवा का नाम जो सामान्य केंद्रीय सेवा के अलावा किसी संगठित सेवा का सदस्य है। उदाहरण के लिए, भारतीय पुलिस सेवा के सदस्यों के साथ सेवा-संबंधी संचार के लिए, गृह मंत्रालय ने मेल डोमेन "@ips.gov.in" पंजीकृत किया है; और

(ii) जहां उपयोगकर्ता पात्र है, लेकिन ऐसी सेवा का सदस्य नहीं है, वह संगठन जिसने ऐसे उपयोगकर्ता को अपने मामलों के संबंध में किसी सेवा या पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया है (जिसे आगे "नियुक्ति उपयोगकर्ता संगठन" कहा जाएगा), ऐसे नियुक्ति उपयोगकर्ता संगठन का नाम, जिसके आगे "cadre" शब्द जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, एनआईसी के अधिकारियों के साथ सेवा-संबंधी संचार के लिए, एनआईसी डोमेन नाम "@niccadre.gov.in" पंजीकृत कर सकता है।

5.3.3 तदनुसार, मेल डोमेन "@gov.in", "@nic.in" और "@xyz.nic.in" का उपयोग बंद हो जाएगा, हालांकि खाते में उपलब्ध ईमेल नए ईमेल पतों के माध्यम से सुलभ रहेंगे और उक्त मेल डोमेन के साथ मौजूदा ईमेल पतों पर भेजे गए ईमेल संबंधित उपयोगकर्ता के उपयोगकर्ता खाते में पहुंचते रहेंगे।

5.3.4 मेल डोमेन "@xyz.gov.in" किसी केंद्रीय सरकारी विभाग, न्यायालय, सांविधानिक निकाय, विधायी निकाय, अन्य सरकारी नियंत्रित इकाई, राज्य सरकार विभाग या सांविधिक निकाय को सौंपा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इसे किसी अन्य प्राधिकृत इकाई या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संस्थान को सौंपा जा सकता है, जिसके लिए ऐसा असाइनमेंट सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष निर्देशों द्वारा अधिकृत हो।

5.3.5 उपयोगकर्ता संगठन द्वारा "@xyz.gov.in" मेल डोमेन का उपयोग करके बनाया गया ईमेल पता, ऐसे उपयोगकर्ता के लिए जो ऐसे उपयोगकर्ता संगठन द्वारा अनुबंधित इकाई द्वारा प्रदान किया गया कर्मचारी या सलाहकार या आउटसोर्स मानव संसाधन है, या सीधे इसके द्वारा नियुक्त एक व्यक्तिगत सलाहकार है, एनआईसी के साथ एक मेल डोमेन पंजीकृत करेगा जो ऐसे उपयोगकर्ता को उन उपयोगकर्ताओं से उचित रूप से अलग करता है जो उस उपयोगकर्ता संगठन के कर्मचारी या अन्य कार्यालय-धारक हैं या इसके द्वारा सेवा प्राप्त करते हैं। तदनुसार, किसी ईमेल पते में पंजीकृत किया गया—

(क) किसी अनुबंधित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी या सलाहकार या आउटसोर्स मानव संसाधन के लिए, मेल डोमेन "@xyz-contractor.gov.in" होगा; और

(ख) किसी सीधे नियोजित व्यक्तिगत सलाहकार के लिए, मेल डोमेन "@xyz-consultant.gov.in" होगा।

5.3.6 ऐसे उपयोगकर्ता संगठन के संबंध में जो वर्तमान में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए मेल डोमेन के रूप में "@xyz.gov.in" या "@xyz.nic.in" का उपयोग करते हैं (उदाहरण के लिए, "@org.in" या "@ac.in"), उपयोगकर्ता संगठन अनुच्छेद 5.3.5 के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित समान लाइनों पर एक उपयुक्त मेल डोमेन पंजीकृत कर सकते हैं, ताकि उपयोगकर्ताओं को समान रूप से अलग किया जा सके जो अनुबंधित संस्थाओं या व्यक्तिगत सलाहकारों द्वारा प्रदान किए गए आउटसोर्स मानव संसाधन के कर्मचारी या सलाहकार हैं, जो सीधे ऐसे उपयोगकर्ता संगठन द्वारा नियोजित हैं, उन उपयोगकर्ताओं से जो उस उपयोगकर्ता संगठन के कर्मचारी या अन्य कार्यालय-धारक हैं या इसके द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

संगठन-बद्ध ईमेल पता

5.4 एक उपयोगकर्ता संगठन जो एक मुख्य उपयोग संगठन है, वह प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे उस संगठन के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए संचार के लिए ईमेल की आवश्यकता होगी, संगठन से बद्ध ईमेल पता आबंटित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा, जब वह उपयोगकर्ता संगठन में सम्मिलित होता है, ताकि एनआईसीईमेल उपयोगकर्ता खाते की अनुपस्थिति में, ऐसे व्यक्ति और संगठन के अन्य उपयोगकर्ता अन्य ईमेल सेवाओं या इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य कम सुरक्षित

साधनों का उपयोग न करें। उपयोगकर्ता संगठन जो मुख्य उपयोग संगठन के अलावा अन्य हैं, वे भी अपने आधिकारिक उद्देश्यों के लिए संचार के लिए समान संगठन से बद्ध ईमेल पते बनाने का विकल्प चुन सकते हैं।

5.5 कोई उपयोगकर्ता संगठन जिसे एनआईसीईमेल सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ता द्वारा ऐसे उपयोगकर्ता संगठन की सेवा बंद करने, या उसके अधीन पद धारण करने, या उससे सेवा प्राप्त करने, या किसी संविदात्मक, परामर्शदात्री या आउटसोर्स्ड सेवाओं के निष्पादन के लिए नियुक्त होने पर उपयोगकर्ता को सौंपे गए संगठन-बद्ध ईमेल पते को निष्क्रिय कर दिया जाए, जिसके लिए उपयोगकर्ता को ऐसा ईमेल पता रखना आवश्यक हो।

5.6 कोई उपयोगकर्ता संगठन, जिसे निःशुल्क एनआईसीईमेल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, संगठन से बद्ध ईमेल पते इस प्रकार आबंटित करेगा जिससे प्रशासनिक दक्षता प्राप्त हो और ऐसी निःशुल्क सेवाओं के प्रावधान के लिए सरकारी खजाने पर लागत का अनुकूलन हो।

5.6.1 ऐसा अनुकूलन करने के लिए, ऐसा उपयोगकर्ता संगठन, ईमेल पते आबंटित करते समय, उस उपयोगकर्ता के उस उपयोगकर्ता संगठन में सेवा करने, पद धारण करने या उससे नियोजित होने पर ईमेल पतों की पुनः प्रयोज्यता को अधिकतम करने का प्रयास करेगा, ताकि ऐसे उपयोगकर्ता के सभी या अधिकांश कर्तव्यों को सौंपा गया व्यक्ति पहले आदान-प्रदान किए गए ईमेल पत्राचार तक पहुँचने में सक्षम हो, और उस उपयोगकर्ता के साथ पहले से संवाद करने वाले अन्य लोगों के साथ ईमेल का आदान-प्रदान सुचारू रूप से जारी रहे।

5.6.2 जहां ऐसे उपयोगकर्ता संगठन में कर्तव्यों का आबंटन एक स्थापित पैटर्न का पालन करता है, इसमें उचित कर्तव्य/कार्य-बद्ध उपयोगकर्ता का नाम निर्दिष्ट करना सम्मिलित होगा। उदाहरण के लिए, एमईआईटीवाई में "xyz" प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव को ईमेल पता "jointsecretary-xyz@meity.gov.in" सौंपा जा सकता है। यदि वह एक से अधिक प्रभागों का प्रभार संभाल रहा है, तो कार्य आबंटन में परिवर्तनों के दौरान पुन: प्रयोज्यता को सक्षम करने के लिए प्रत्येक प्रभाग के लिए अलग-अलग समान ईमेल पते निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। इसी तरह, यदि किसी NIC वैज्ञानिक को NIC के कार्मिक प्रभाग के लिए प्रभाग प्रमुख की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं और उसे NIC का सतर्कता अधिकारी भी नामित किया जाता है, तो उसे "hod-personnel@nic.gov.in" और "vigilanceofficer@nic.gov.in" ईमेल पते दिए जा सकते हैं।

5.6.3 जहां ऐसे उपयोगकर्ता संगठन में कर्तव्यों का आबंटन किसी स्थापित पैटर्न का पालन नहीं करता है, या जिस व्यक्ति को ईमेल पता सौंपा जाना है, वह ऐसे कर्तव्यों का पालन कर रहा है, जिनका कार्य की पहचान योग्य इकाइयों के संदर्भ में कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है, तो ईमेल पते के अन्य उपयुक्त उपयोगकर्ता नाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) जो किसी भी प्रभाग, अनुभाग या कार्य आबंटन की अन्य ऐसी अच्छी तरह से परिभाषित इकाई का प्रभारी नहीं है, लेकिन कानूनी प्रकृति के कर्तव्यों का पालन करता है, जो उसे समय-समय पर एमईआईटीवाई में विशेष रूप से सौंपे जाते हैं, उसे ईमेल पता "osd-law@meity.gov.in" सौंपा जा सकता है। यदि ऐसे कई ओएसडी हैं, तो प्रत्येक ओएसडी को किसी भी उचित और उचित आधार पर अलग-अलग ईमेल पते सौंपे जा सकते हैं, जैसे "osd-courtcases@meity.gov.in" और "osd-legislation@meity.gov.in", या "osd1-law@meity.gov.in" और "osd2-law@meity.gov.in"।

सेवा-बद्ध ईमेल पता

5.7 कोई नियुक्त करने वाला उपयोगकर्ता संगठन जिसे एनआईसीईमेल सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, संगठन-बद्ध ईमेल पतों के अतिरिक्त, किसी पात्र व्यक्ति को सेवा से जुड़ा ईमेल पता दे सकता है, जिसे संगठन के मामलों से संबंधित किसी सेवा या पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है। जिस व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को ऐसा ईमेल पता सौंपा गया है, वह इसका उपयोग केवल अपनी सेवा शर्तों से संबंधित संचार के लिए कर सकता है, जब तक कि ऐसा उपयोगकर्ता ऐसी सेवा या पद पर नियमित आधार पर नियुक्त रहता है या उस पर ग्रहणाधिकार (लियन) रखता है।

5.7.1 ऐसे नियुक्तिकर्ता उपयोगकर्ता संगठन द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियां सेवा-बद्ध ईमेल पता आबंटित करने के लिए पात्र होंगी, अर्थात्:—

(क) भारत सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के पद का अधिकारी; और

(ख) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें सक्षम प्राधिकारी सामान्य या विशेष निर्देशों द्वारा अनुमति दें।

5.7.2 ऐसे पात्र व्यक्ति की सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से 30 दिन पहले की तिथि को या उसके बाद उनकी नियुक्ति करने वाला उपयोगकर्ता संगठन उन्हें सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद उपयोग के लिए और उन्हें अपने सेवा-बद्ध ईमेल पते से केवल सेवा शर्त से संबंधित ईमेल स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए एक ईमेल पता आबंटित कर सकता है। ऐसे नए ईमेल पते का समनुदेशन निम्नलिखित के अनुरूप होगा, अर्थात्:—

(क) जहां उपयोगकर्ता सामान्य केंद्रीय सेवा के अलावा किसी संगठित सिविल सेवा का सदस्य है, तो ईमेल पते में एक मेल डोमेन होगा जिसमें डोमेन नाम के उपसर्ग के रूप में "retired" सम्मिलित होगा। उदाहरण के लिए, भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के लिए मेल डोमेन "@retiredips.gov.in" हो सकता है।

(ख) जहां उपयोगकर्ता सेना अधिनियम, 1950, वायु सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 के अंतर्गत गठित किसी भी बल का सदस्य है, तो ईमेल पते में एक मेल डोमेन होगा जिसमें डोमेन नाम के उपसर्ग के रूप में "veteran" सम्मिलित होगा। उदाहरण के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए मेल डोमेन जो ऐसे बल का सदस्य है या सेवानिवृत्त हो चुका है, "@navyveteran.gov.in" हो सकता है।

(ग) जहां उपयोगकर्ता उपर्युक्त सेवा का सदस्य नहीं है, वहां ईमेल पते में एक मेल डोमेन होगा जिसमें डोमेन नाम के उपसर्ग के रूप में "retired" शब्द सम्मिलित होगा, बिना "cadre" शब्द के। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मेल डोमेन जो एनआईसी के अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हो चुका है या, "@retirednic.gov.in" हो सकता है।

(घ) ऐसे उपयोगकर्ता के विकल्प पर और नियुक्ति करने वाले उपयोगकर्ता संगठन की संस्तुतियों पर, जो उनके सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एनआईसी को उनके डीए द्वारा भेजी जाती है, ऐसी सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से या उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट किसी बाद की तिथि से, एनआईसी उन उपयोगकर्ता के सेवा-बद्ध ईमेल पते पर आने वाले ईमेल पर स्वचालित प्रतिक्रिया भेजने को सक्षम कर सकते हैं, जिसमें नए ईमेल पते की सूचना दी जाती है।

(ङ) ईमेल पता इस शर्त पर आबंटित किया जाएगा कि व्यक्ति अग्रिम रूप से ऐसा भुगतान करेगा, जैसा कि एनआईसी समय-समय पर अधिकथित करेगी, ताकि ऐसे ईमेल पते के प्रावधान के लिए एनआईसी द्वारा किए गए या होने वाले परिचालन व्यय को पूरा किया जा सके।

6. सेवाओं का उपयोग

6.1 एनआईसीईमेलसेवाओं का उपयोग करके जानकारी साझा करना विभागीय सुरक्षा निर्देशों की नियमावली और गृह मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशा-निर्देशों और इस संबंध में उसके द्वारा जारी किसी अन्य निर्देश और नीति में निहित निर्देशों के अधीन होगा।

6.2 ईमेल डाटा और लॉग को ऐसे समय तक संरक्षित रखा जाएगा, जैसा कि समय-समय पर ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों में एनआईसी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। हालाँकि, संबंधित उपयोगकर्ता संगठन के अनुरोध पर, एनआईसीको उसके सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उसके डीए द्वारा सूचित किए जाने पर, एनआईसी ऐसे संरक्षण की अवधि को बढ़ा सकता है।

6.3 एनआईसीईमेल उपयोगकर्ता खाता जिसे उपयोगकर्ता द्वारा 90 दिनों की अवधि तक एक्सेस नहीं किया जाता है, उसे निष्क्रिय माना जाएगा। हालाँकि, संबंधित उपयोगकर्ता संगठन के अनुरोध पर, जिसे उसके सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एनआईसीको उसके डीएद्वारा सूचित किया जाता है, एनआईसीऐसी अवधि को बढ़ा सकता है, बशर्ते कि विस्तार सहित कुल अवधि 180 दिनों से अधिक न हो।

6.3.1 जिस तिथि से उपयोगकर्ता ने अपने एनआईसीईमेल उपयोगकर्ता खाते तक पहुँच नहीं बनाई है, उस तिथि से लेकर 180 दिनों की अवधि की समाप्ति तक, जिसमें 180 दिनों की ऐसी अवधि के दौरान निष्क्रियता की कोई अवधि सम्मिलित है, संबंधित डीए निष्क्रिय उपयोगकर्ता खाते को पुनः सक्रिय कर सकता है।

6.4 यदि किसी उपयोगकर्ता के खाते में ऐसी सामग्री है जिसमें दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट से जुड़ने वाला संचार लिंक सम्मिलित है, या जिसमें दुर्भावनापूर्ण कोड वाला अनुलग्नक है या प्राप्तकर्ता को धोखा देने का इरादा है, या अन्यथा सूचना सुरक्षा या साइबर सुरक्षा को खतरे में डालने की संभावना है, तो एनआईसी उपयोगकर्ता के खाते से ऐसी सामग्री को हटा सकता है, या अपने ईमेल समाधान प्रदाता या सिस्टम इंटीग्रेटर को हटाने का निर्देश दे सकता है।

6.5 किसी उपयोगकर्ता को सौंपा गया संगठन-बद्ध ईमेल पता ऐसे उपयोगकर्ता के सेवा-बद्ध ईमेल पते से मैप नहीं किया जाएगा, और ऐसे संगठन-बद्ध ईमेल पते पर प्राप्त ईमेल स्वचालित रूप से ऐसे उपयोगकर्ता के सेवा-बद्ध ईमेल पते पर अग्रेषित नहीं किए जाएंगे।

भाग III: कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियां

7. एनआईसी के कार्य, कर्तव्यऔर जिम्मेदारियां

7.1 एनआईसी निम्नलिखित कार्य करेगा और उसके निम्नलिखित कर्तव्य और जिम्मेदारियां होंगी, अर्थात्:—

(क) एनआईसीईमेल सेवाओं के लिए प्रक्रिया और प्रणालियां विकसित करना;

(ख) उपयुक्त ईमेल समाधान प्रदाता और सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति के माध्यम से ऐसी सेवाएं प्रदान करना, और मौजूदा उपयोगकर्ताओं के ईमेल खातों के माइग्रेशन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं और ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेश तैयार करना और उपयोगकर्ता संगठनों, डीए एवं उपयोगकर्ताओं को समयबद्ध तरीके से माइग्रेशन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना सुनिश्चित करना;

(ग) सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना और इस ईमेल नीति के प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन के लिए ऐसी सेवाओं के प्रावधान में उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपायों का कार्यान्वयन करना; और

(घ) उपयोगकर्ता संगठनों, डीए और उपयोगकर्ताओं के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हुए ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेश तैयार करना और प्रकाशित करना।

7.2 अनुच्छेद 7.1 में निर्दिष्ट कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एनआईसी निम्नलिखित रूप से कार्य करेगा और कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) एनआईसीईमेल उपयोगकर्ता खातों के लिए संग्रहण सीमा अधिकथित करना;

(ख) अन्य एनआईसीईमेल सेवाओं का निर्धारण करना जिन्हें एनआईसी द्वारा प्रदान किए गए ईमेल समाधान के माध्यम से सभी या किसी भी वर्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाया जा सकता है, जिसमें ऐसे समाधान के साथ एकीकृत अनुप्रयोगों का उपयोग सम्मिलित है;

(ग) साइबर और सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने और ईमेल के व्यवस्थित और कुशल प्रबंधन की सुविधा के लिए,—

(i) उचित प्रतिबंध और शर्तें लागू करना, जिनके अधीन एनआईसीईमेल सेवाएं और एनआईसी द्वारा प्रदान किए गए ईमेल समाधान में उपलब्ध सुविधाएं और कार्यात्मकताएं और ऐसे समाधान के साथ एकीकृत अनुप्रयोगों का उपयोग किया जा सकेगा;

(ii) दुर्भावनापूर्ण और संदिग्ध ईमेल की डिलीवरी का पता लगाने और इसे रोकने केलिए उचित सुरक्षा उपाय लागू करना;

(iii) जहां एनआईसी द्वारा प्रदान किया गया बाह्य संग्रहण अनुप्रयोग इसके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल समाधान के साथ एकीकृत है, ऐसे समाधान के लिए ईमेल के पुनर्निर्देशन और उपयोगकर्ता खाते और बाह्य संग्रहण के बीच ईमेल के आदान-प्रदान के संबंध में उचित नीतियां लागू करना;

(iv) किसी भी ईमेल डाटा पर फोरेंसिक विश्लेषण करने के लिए जिसे उसके द्वारा दुर्भावनापूर्ण कोड युक्त, या प्राप्तकर्ता को धोखा देने का इरादा, या अन्यथा सूचना या साइबर सुरक्षा को खतरे में डालने की संभावना के रूप में पहचाना जा सकता है, और इस उद्देश्य के लिए तीसरे पक्ष की सहायता लेना; और

(v) एनआईसी द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य उपयुक्त उपाय लागू करना;

(घ) लॉग को संरक्षित रखने की अवधि या समय के बिंदुओं को अधिकथित करना; और

(ङ) निष्क्रिय किए गए उपयोगकर्ता खाते के लिए ईमेल डाटा को संग्रहित करने की अवधि या समय के बिंदुओं को अधिकथित करना,जहां एनआईसी द्वारा प्रदान किया गया बाह्य संग्रहण अनुप्रयोग उसके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल समाधान के साथ एकीकृत है, ऐसे बाह्य संग्रहण अनुप्रयोग में संग्रहित किसी भी ईमेल डाटा के लिए।

8. उपयोगकर्ता संगठनों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां

8.1 प्रत्येक उपयोगकर्ता संगठन के निम्नलिखित कर्तव्य और ज़िम्मेदारियां होंगी, अर्थात्:—

(क) ऐसे उपयोगकर्ता संगठन के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, एनआईसी द्वारा उपयोगकर्ता संगठनों को डीए नामित करने के लिए उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल पर, एक या एक से अधिक लोक सेवकों को, जो एनआईसी के कर्मचारी के अलावा अन्य होंगे, इस ईमेल नीति और ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों के अंतर्गत डीए के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए प्रत्यायोजित प्रशासक के रूप में नामित करना;

(ख) सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना और अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा एनआईसीईमेल सेवाओं के उपयोग में उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपायों के कार्यान्वयन और अपने डीए के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का उचित निर्वहन, इस ईमेल नीति और ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों के प्रावधानों के प्रभावी पालन के लिए;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस ईमेल नीति की धारा 5 में निहित प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता संगठन में क्रियाविधि स्थापित करना और उपयोगकर्ताओं को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना; और

(घ) ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों में निर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

9. डीए के कर्तव्य और जिम्मेदारियां

9.1 प्रत्येक डीए के निम्नलिखित कर्तव्य और जिम्मेदारियां होंगी, अर्थात्:—

(क) अपने उपयोगकर्ता संगठन में सक्षम प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त होने पर, डीए नामित करने के लिए उपयोगकर्ता संगठनों के लिए एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुद को पंजीकृत करना, और प्रत्येक एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपने विवरण को अद्यतन करना;

(ख) एनआईसी द्वारा एनआईसीईमेल एक्सेस के लिए उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध की प्राप्ति पर, इस ईमेल नीति की धारा 5 और ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता को एक एनआईसीईमेल उपयोगकर्ता खाता बनाने और उसे सौंपने के लिए;

(ग) निरंतर आधार पर, डीए द्वारा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं के विवरणों को अद्यतन करना, आवश्यकतानुसार एनआईसीईमेल उपयोगकर्ता खातों को निष्क्रिय करना और इस ईमेल नीति और ईमेल एक्सेस एवं उपयोग निर्देशों के अंतर्गत अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना;

(घ) इस ईमेल नीति और ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों के अंतर्गत अपने उपयोगकर्ता संगठन द्वारा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना; और

(ङ) ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों में निर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

10. उपयोगकर्ताओं के कर्तव्य और जिम्मेदारियां

10.1 प्रत्येक उपयोगकर्ता के निम्नलिखित कर्तव्य और जिम्मेदारियां होंगी, अर्थात्:—

(क) इस ईमेल नीति और ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करना;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(i) यदि वह किसी ऐसे उपयोगकर्ता संगठन से संबंधित है जो एक कोर उपयोग संगठन है, तो उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन के लिए केवल संगठन से जुड़े ईमेल पते का ही उपयोग करना होगा;

(ii) अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसे संगठन से जुड़े ईमेल पते का उपयोग नहीं करना;

(iii) अपने संगठन से जुड़े आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन के लिए उसे सौंपे गए सेवा से जुड़े ईमेल पते का उपयोग नहीं करना;

(iv) ऐसे सेवा-बद्ध ईमेल पते का उपयोग सेवा मामलों से जुड़े उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करना, सिवाय इसके कि ऐसा ईमेल पता उसे सेवानिवृत्ति के बाद उपयोग के लिए सौंपा गया हो;

(v) किसी भी सोशल मीडिया या अन्य वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन पर पंजीकरण के लिए अपने एनआईसीईमेल पते का उपयोग नहीं करना, केवल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन के लिए या अपने उपयोगकर्ता संगठन में सक्षम प्राधिकारी से ऐसा करने के लिए उचित प्राधिकरण के साथ; और

(vi) ऐसे पोर्टल के माध्यम से एनआईसीईमेल एक्सेस करने के लिए एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल पर उनके द्वारा पंजीकृत विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में संबंधित डीए को तुरंत सूचित करना।

11. पहले से आबंटित ईमेल पतों के बारे में प्रावधान

11.1 इस ईमेल नीति में निहित प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ, आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से पहले मौजूद उपयोगकर्ता संगठनों और उपयोगकर्ताओं औरआबंटित ईमेल पतों पर भी लागू होंगे।

11.2 एनआईसी ऐसे पूर्व में निर्दिष्ट ईमेल पतों के संबंध में उपयोगकर्ता संगठनों द्वारा इस ईमेल नीति का पालन सुनिश्चित करने के लिए डीए और एनआईसीएसआई के साथ समन्वय करेगा, और डीए एवं उनके उपयोगकर्ता संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि इस संबंध में ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

11.3 यद्यपि इस ईमेल नीति में निहित प्रावधान आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे, लेकिन जहां तक पहले से निर्दिष्ट ईमेल पतों के संबंध में इस ईमेल नीति की धारा 5 में निहित प्रावधानों के अनुपालन का संबंध है, उपयोगकर्ता संगठन उक्त तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर या उपयोगकर्ता संगठन अथवा उपयोगकर्ता संगठनों के वर्ग के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष निर्देशों द्वारा दी गई लंबी अवधि के भीतर इसे सुनिश्चित करेंगे।

11.3.1 उपयोगकर्ता खातों के निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों में, जिन्हें पहले उपयोगकर्ता को सौंपा गया था और जो धारा 5 में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, ऐसे खाते का ईमेल पता ऐसे उपयोगकर्ता के किसी अन्य एनआईसीईमेल उपयोगकर्ता खाते से मैप किया जा सकता है जो उक्त प्रावधानों के अनुरूप है, ऐसे पते पर भेजे गए आने वाले ईमेल की डिलीवरी के प्रयोजनों के लिए, नीचे निर्दिष्ट अवधि के लिए, अर्थात्:—

(क) जहां उपयोगकर्ता संगठन का मेल डोमेन परिवर्तित किया जाता है, वहां पूर्वोक्त मैपिंग एनआईसी द्वारा अप्रतिबंधित अवधि के लिए की जा सकती है, सिवाय इसके कि एनआईसी किसी भी कारण से इसे प्रतिबंधित करने का निर्णय ले।

(ख) जहां उपयोगकर्ता खाता किसी ऐसे उपयोगकर्ता संगठन द्वारा सौंपा गया है जो नि:शुल्क एनआईसीईमेल सेवाएं प्रदान करता है और ऐसा खाता अनुच्छेद 5.6.2, 5.6.3 और 5.7.1 में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो एनआईसी द्वारा पूर्वोक्त मैपिंग ऐसी मैपिंग की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए की जा सकती है, या ऐसी लंबी अवधि के लिए की जा सकती है, जिसे सक्षम प्राधिकारी, सामान्य या विशेष निर्देशों द्वारा, उपयोगकर्ता संगठन, उपयोगकर्ता संगठनों के वर्ग या उपयोगकर्ताओं के वर्ग के संबंध में अनुमति दे।

(ग) जहां उपयोगकर्ता खाता—

(i) एक उपयोगकर्ता संगठन द्वारा सौंपा गया है जो एक ऐसे उपयोगकर्ता को नि:शुल्क एनआईसीईमेल सेवाएं प्रदान करता है जिसने ऐसे उपयोगकर्ता संगठन की सेवा करना बंद कर दिया है, या इसके अंतर्गत कार्यालय रखना बंद कर दिया है या इसके द्वारा सेवा प्राप्त की है, या किसी अनुबंध के प्रदर्शन के लिए नियुक्त किया गया है, परामर्श या आउटसोर्स की गई सेवाएं जिनके लिए उपयोगकर्ता के पास ऐसा ईमेल पता होना आवश्यक है, या उसके मामलों के संबंध में किसी सेवा या पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया जाना या उस पर ग्रहणाधिकार रखना आवश्यक है; और

(ii) अनुच्छेद 5.7.2 में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, एनआईसी द्वारा अपने सेवा-बद्ध ईमेल पते पर मैपिंग केवल उस उपयोगकर्ता संगठन के निर्देशों पर की जा सकती है, जिसे उसके डीए द्वारा अपने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ, ऐसी समाप्ति की तारीख से अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए सूचित किया जाता है। ऐसा कोई भी निर्देश जारी करते समय, उपयोगकर्ता संगठन को ध्यान में रखना चाहिए—

(1) कोई भी आपातकालीन परिस्थिति या कार्यात्मक आवश्यकता; और

(2) कोई भी सूचना सुरक्षा जोखिम जो ऐसे उपयोगकर्ता खाते से सूचना के प्रवाह से उत्पन्न होने की संभावना है, जिसे ऐसे उपयोगकर्ता को आधिकारिक संचार के लिए सौंपा गया है जो अब इसके रोजगार में नहीं है या अन्यथा इसके द्वारा नियोजित नहीं है।

12. ईमेल नीति का पालन

12.1 प्रत्येक उपयोगकर्ता संगठन उचित अभ्यास करेगा और ऐसे उपयोगकर्ता संगठन, उसके डीए और उसके उपयोगकर्ताओं द्वारा ईमेल नीति और ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।

12.2 प्रत्येक डीए को उचित अभ्यास करना होगा और अपने उपयोगकर्ता संगठन और उसके उपयोगकर्ताओं द्वारा ईमेल नीति औरईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों का उचित पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे।

12.3 प्रत्येक उपयोगकर्ता को ईमेल नीति और ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों का पालन करना होगा।

12.4 प्रत्येक उपयोगकर्ता संगठन, डीए और उपयोगकर्ता को एनआईसीईमेल सेवाओं से संबंधित प्रत्येक साइबर घटना के जानकारी में आने पर ईमेल एक्सेस और उपयोग अनुदेशों में निर्दिष्ट तरीके के अनुसार एनआईसी को शीघ्रता से रिपोर्ट करनी होगी या रिपोर्ट करानी होगी।

12.5 एनआईसी एनआईसीईमेल सेवाओं के उपयोग और उपयोगकर्ता संगठनों, डीए, उपयोगकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा रिपोर्ट की गई साइबर घटनाओं की निगरानी और समीक्षा करेगा और किसी भी उपयोगकर्ता संगठन, डीए या उपयोगकर्ता को सक्रिय और निवारक उपायों सहित ऐसे उपाय करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि यह किसी भी गैर-अनुपालन को सुधारने या दूर करने, या साइबर घटना को कम करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

12.5.1 गंभीर या दोहरावपूर्ण प्रकृति के गैर-अनुपालन के मामले में, एनआईसी संबंधित उपयोगकर्ता संगठन, डीए या उपयोगकर्ता को सभी या किसी भी एनआईसीईमेल सेवाओं के प्रावधान को निलंबित कर सकता है, जबकि ऐसे संगठन, डीए या उपयोगकर्ता को, जैसा भी मामला हो, लिखित रूप में, ऐसे निलंबन के कारणों की सूचना दे सकता है और उन्हें एक नोटिस दे सकता है जिसमें या तो कोई उपाय निर्दिष्ट किया जाएगा जो उन्हें ऐसी सेवा(ओं) की बहाली के लिए लेने की आवश्यकता हो सकती है या उन्हें कारण बताने का अवसर दिया जा सकता है कि ऐसी सेवा(ओं) को वापस क्यों नहीं लिया जा सकता है, ताकि वे नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर इसका जवाब दे सकें।

12.5.2 ऐसे नोटिस का जवाब मिलने या ऐसी अवधि समाप्त होने पर, एनआईसी, प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, सेवा(ओं) के निलंबन या वापसी की बहाली या जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है और संबंधित संगठन, डीए या उपयोगकर्ता को लिखित रूप में ऐसा निर्णय बताएगा।

12.6 किसी भी सेवा के निलंबन, या ऐसे निलंबन की निरंतरता, या किसी भी सेवा की वापसी की किसी भी सूचना से व्यथित कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

12.7 सेवा(ओं) का कोई भी निलंबन या वापसी एनआईसी और सरकार के किसी भी अन्य प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई करने के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगी।

13. निरस्त करना

13.1 यह ईमेल नीति संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना एफ. संख्या 2(22)/ 2013-ईजी-II, दिनांक 18.2.2015 के अंतर्गत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित ईमेल नीति का अधिक्रमण करती है।

***

संकेत भोंडवे, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

संगठन का प्रकार

(अनुच्छेद 2 देखें)

क्र.सं.	संगठन का प्रकार	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	केंद्रीय सरकारी विभाग	से अभिप्रेत है भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट मंत्रालय, विभाग, सचिवालय या कार्यालय से है, और इसमें उसका संलग्न कार्यालय या अधीनस्थ कार्यालय भी सम्मिलित है।
2.	विधायी निकाय	से अभिप्रेतहैसंविधान द्वारा कानून बनाने के लिए सशक्त निकाय से है, और इसमें निम्नलिखित निकाय और उनके सचिवालय सम्मिलित हैं, अर्थात्:— (क) लोकसभा; (ख) राज्य सभा; (ग) किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद्; (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा; और (ङ) किसी संघ राज्य क्षेत्र का स्थानीय विधानमंडल।
3.	न्यायालय	से अभिप्रेत है— (क) न्यायालय; और (ख) अन्य न्यायनिर्णयन निकाय, जो संविधान या किसी कानून के अंतर्गत पूरे भारत या उसके किसी भाग में स्थापित हो,और इसमें रजिस्ट्री, सचिवालय या उसका कार्यालय सम्मिलित है।
4.	सांविधानिक निकाय	से अभिप्रेत है संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई कार्यालय या निकाय, और— (क) इसमें संविधान द्वारा या उसके अधीन कोई प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, समिति या परिषद सम्मिलित है; और (ख) इसमें निम्नलिखित में से कोई भी, या उसका कोई सचिवालय या कार्यालय सम्मिलित नहीं है, अर्थात्:— (i) केंद्रीय सरकार; (ii) राज्य सरकार; (iii) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार/प्रशासन; (iv) विधायी निकाय; (v) न्यायालय; और (vi) स्थानीय सरकार।
5.	राज्य सरकार विभाग	से अभिप्रेत है मंत्रालय, विभाग, सचिवालय या कार्यालय— (क) जो राज्य सरकार के कामकाज के आबंटन के लिए संविधान के अनुच्छेद 166 के

		खंड (3) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट है; और (ख) किसी संघ राज्य क्षेत्र सरकार का विभाग, और इसमें उसका संलग्न कार्यालय या अधीनस्थ कार्यालय सम्मिलित है।
6.	सांविधिक निकाय	से अभिप्रेत है— (क) कोई कार्यालय; और (ख) कोई निकाय, जिसमें प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, समिति या परिषद सम्मिलित है, जो किसी कानून के अंतर्गत या उसके द्वारा स्थापित है, और इसमें सचिवालय या उसका कार्यालय सम्मिलित है, लेकिन इसमें कोई सांविधानिक निकाय, कोई सार्वजनिक शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान, कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संस्थान या कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम सम्मिलित नहीं है।
7.	सार्वजनिक शिक्षण या अनुसंधान संस्थान	से अभिप्रेत है— (क) कोई शिक्षण संस्थान जो व्यावसायिक शिक्षा सहित शिक्षा प्रदान करता है, या जो— (i) स्थापित, निगमित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या मान्यता प्राप्त है— (1) किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन; (2) किसी प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, लेकिन इसमें ऐसा विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं है जिसका कुलाधिपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के अलावा कोई अन्य हो; (3) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा; या (4) उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए कानून द्वारा स्थापित निकाय द्वारा और ऐसे संस्थानों को विनियमित करने के लिए सशक्त है; (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विश्वविद्यालय समझी जाने वाले एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया है, या किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है; या (ख) कोई संस्था जो अनुसंधान में संलग्न है, और इसमें संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा वर्तमान में लागू विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित वैज्ञानिक या तकनीकी संस्था सम्मिलित है।
8.	सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संस्थान	से अभिप्रेत है एक इकाई जो— (क) एक अस्पताल, प्रसूति गृह, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, सेनेटोरियम या संस्था है जो नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की

		धारा 2 के खंड (ग) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली में निदान, उपचार या देखभाल की आवश्यकता वाली सेवाएं, सुविधाएं प्रदान करती है; या (ख) उक्त खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट प्रयोगशाला याअन्य चिकित्सा उपकरणों की सहायता से रोगों के निदान या उपचार या जांच सेवाओं से संबंधित स्थान, और जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन निम्नलिखित के पास है— (i) केंद्रीय सरकार का विभाग; (ii) राज्य सरकार का विभाग; (iii) केंद्रीय सरकार के विभाग या राज्य सरकार के विभाग के समग्र नियंत्रण में कोई निकाय, और इसमें सम्मिलित हैं— (1) स्वायत्त निकाय; और (2) गैर-लाभकारी सरकारी कंपनी; (iv) स्थानीय सरकार; या (v) सेना अधिनियम, 1950, वायु सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 के अंतर्गत गठित कोई बल, और जो सार्वजनिक शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान नहीं है।
9.	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम	से अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार, एक राज्य सरकार या एक संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का सार्वजनिक उपक्रम, परन्तु इसमें गैर-लाभकारी सरकारी कंपनी सम्मिलित नहीं है।
10.	अन्य सरकारी नियंत्रित इकाई	से अभिप्रेत है किसी ऐसे निकाय से है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो— (क) किसी केंद्रीय सरकार के विभाग या राज्य सरकार के विभाग के समग्र नियंत्रण में है, और इसमें सम्मिलित हैं— (i) कोई स्वायत्त निकाय; और (ii) कोई गैर-लाभकारी सरकारी कंपनी; और (ख) कोई सार्वजनिक शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा संस्थान नहीं है।
11.	अन्य प्राधिकृत इकाई	से अभिप्रेत है एक निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो संगठनों की किसी भी अन्य श्रेणी में नहीं आता है और जो— (क) आधिकारिक राजपत्र में इस ईमेल नीति के प्रकाशन की तिथि पर एक उपयोगकर्ता संगठन है; या (ख) सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष निर्देशों के अंतर्गत या उसके द्वारा एनआईसीईमेल सेवाओं के उपयोग को अधिकृत करता है।

नोट:

1. किसी भी परियोजना, योजना, कार्यक्रम या पहल को, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या ऐसी परियोजना आदि के प्रभारी दल, प्रशासनिक प्रभाग आदि को, इस अनुबंध में सूचीबद्ध किसी भी संगठन प्रकार में सम्मिलित निकाय, न्यायालय, विभाग, उपक्रम, इकाई, संस्थान, मंत्रालय, कार्यालय या सचिवालय के रूप में नहीं माना जाएगा।

2. इस अनुबंध में,—

(क) "स्वायत्त निकाय" से अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा सरकारी नीतियों के निष्पादन या कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों या कार्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित निकाय से है और जिसे अपने कार्यों के निर्वहन के लिए स्वायत्तता दी गई है, और इसमें कोई सांविधानिक निकाय या सांविधिक निकाय सम्मिलित नहीं है;

(ख) "गैर-लाभकारी सरकारी कंपनी" से अभिप्रेत है ऐसी कंपनी जो—

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत; और

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित सरकारी कंपनी;

(ग) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में परिभाषित विश्वविद्यालय से है; और

(घ) "संघ राज्य क्षेत्र सरकार" से अभिप्रेत है—

(i) विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकार; और

(ii) किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन।

***

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2024

F.No: 1(3)/2024-EG-II.—

Email Policy of Government of India, 2024

Part I: Introduction

1. Objective and scope

1.1 Email is the primary means of communication for official purposes used by government for the performance of public duties in public interest, as well as by certain other organisations entrusted with performance of such duties. To enable secure use of email in government and such organisations, email services are provided by the National Informatics Centre (NIC).

1.2 This policy applies to use and use-related security aspects governing such email services.

1.2.1 It complements the following framework that applies to the security of the email solution utilised to provide the services:

(a) Applicable laws, such as the Information Technology Act, 2000, the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (once the same is brought into force), and rules made or directions or guidelines issued under the same;

(b) Policies, procedures and guidelines relating to cybersecurity or information security, or both, which are issued or adopted from time to time by the Central Government, its nodal agency for incident response and cybersecurity related functions (the Indian Computer Emergency Response Team) or the protection of Critical Information Infrastructure (the National Critical Information Infrastructure Protection Centre), or NIC; and

(c) The standards relating to management systems for information security, business continuity, information technology service, etc., issued by technical standard organisations and adopted by NIC, from time to time, in relation to the email solution.

2. Definitions

2.1 In this policy, unless the context otherwise requires,—

(a) "Central Government Department", "Court", "Constitutional Body", "Legislative Body", "Other Authorised Entity", "Other Government-controlled Entity", "Public Educational or Research Institution", "Public Healthcare Institution", "Public Sector Enterprise", "State Government Department" and "Statutory Body" shall have the meanings respectively assigned to them in the Annex;

(b) "Central Government Organisation" means an Organisation that—

(i) is a Central Government Department; or

(ii) is under the administrative purview of a Central Government Department and is—

(1) a Public Educational or Research Institution;

(2) a Public Healthcare Institution;

(3) a Public Sector Enterprise;

(4) a Statutory Body;

(5) an Other Government-controlled Entity; or

(6) an Other Authorised Entity.

(c) "Competent Authority" means the Secretary to the Government of India in the Ministry of Electronics and Information Technology;

(d) "Core Use Organisation" means an Organisation as referred to in paragraph 3.1.1;

(e) "DA", in relation to a User Organisation, means a public servant other than an employee of NIC, who is designated as a Delegated Administrator by such User Organisation under clause (a) of paragraph 8.1;

(f) "Email Access and Use Instructions" means the instructions so named, given by NIC from time to time under this Policy,—

(i) for adherence by a DA and its corresponding User Organisation, as published in the user account assigned to such DA on the online platform made available by NIC for User Organisations to designate DAs, specifying the duties and responsibilities of User Organisations and DAs; and

(ii) for adherence by a User, as published in the NICeMail user account assigned to such User, specifying the duties and responsibilities of such Users;

(g) "Email Policy" means this policy;

(h) "Ministry of Electronics and Information Technology" or "MeitY" means the department to which the subject of policy matters relating to information technology is allocated by the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961;

(i) "NICeMail" means the email service made available using the email solution provided by NIC;

(j) "NICeMail Services" means and includes—

(i) NICeMail; and

(ii) Other NICeMail Services;

(k) "Organisation" means a body, court, department, enterprise, entity, institution, ministry, office or secretariat that is included in any of the organisation types described in the Annex;

(l) "Other NICeMail Service" means such service other than NICeMail as may, from time to time, be—

(i) made accessible to all or any class of Users through the email solution provided by NIC, which may include the use of applications such as a calendar application, office productivity tools integrated with such solution and external storage application provided by NIC; and

(ii) specified in the Email Access and Use Instructions;

(m) "State Government Organisation" means an Organisation that—

(i) is a State Government Department; or

(ii) is under the administrative purview of a State Government Department and is—

(1) a Public Educational or Research Institution;

(2) a Public Healthcare Institution;

(3) a Public Sector Enterprise;

(4) a Statutory Body;

(5) an Other Government-controlled Entity; or

(6) an Other Authorised Entity;

(n) "User" means an individual authorised to use NICeMail Services and to whom a NICeMail user account is assigned for this purpose; and

(o) "User Organisation" means an Organisation that uses NICeMail Services.

Part II: Terms of Use

3. User Organisations

3.1 User Organisations, in terms of whether or not they are required by this Email Policy to use only NICeMail for email communication for official purposes, are classified into the following two classes, namely:—

(a) Core Use Organisations; and

(b) other Organisations.

3.1.1 Core Use Organisations consist of Central Government Departments and such Other Government-controlled Entities as are under the overall control of such a Department and do not provide goods or services on commercial terms. Save as otherwise provided, a Core Use Organisation and its Users shall use only NICeMail for email communication for official purposes. However, where the Core Use Organisation has an office or establishment outside India, for ensuring availability of local communication channels under exigent circumstances (such as disruption of Internet services that may result in inability to access NICeMail), such Organisation may, with the approval of such authority other than the head of such office or establishment as may be competent in this regard in that Organisation, authorise such office or establishment to maintain alternative email services hosted outside India.

3.1.2 Any Organisation other than a Core Use Organisation may adopt the use of NICeMail.

3.2 A Core Use Organisation, including those dealing with national security, that currently have their own independent email servers may continue to operate the same, provided such servers are hosted in India. Further, in the interest of security and uniform policy enforcement, these Organisations should consider migrating their email services to NICeMail Services.

4. Charges for use of NICeMail Services

4.1 Save where the Central Government decides otherwise in respect of any Organisation or class thereof, NICeMail Services shall be provided free of charge to the following classes of Organisations, namely:—

(a) Core Use Organisations;

(b) Legislative Bodies;

(c) Courts;

(d) Constitutional Bodies;

(e) State Government Departments, and such Other Government-controlled Entities as are under the overall control of such a Department and do not provide goods or services on commercial terms; and

(f) Statutory Bodies and Other Authorised Entities, for which such free-of-charge provision is authorised by general or special directions of Competent Authority.

4.2 Other Organisations may avail of NICeMail Services through National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI), or such other agency as NIC may appoint in this behalf, on payment of such charges as may be determined from time to time.

5. User account creation

5.1 On receipt of a request made in this behalf by a User on the online portal made available by NIC for accessing NICeMail, the DA for the User Organisation concerned shall create and assign to such User an NICeMail user account.

5.2 In respect of a User Organisation provided NICeMail Services free of charge (*see* paragraph 4.1), the NICeMail email addresses assigned to a User may be of the following two types, namely:—

(a) Organisation-linked email address; and

(b) Service-linked email address.

5.2.1 The policy in respect of organisation-linked email addresses is laid down in paragraphs 5.3.2(a) and 5.4 to 5.6.3. The policy in respect of service-linked email addresses is laid down in paragraphs 5.3.2(b) and 5.7 to 5.7.2.

5.3 Most Core Use Organisations currently use common mail domains, namely, "@gov.in" and "@nic.in", and only a few use organisation-specific mail domains such as "@xyz.gov.in" and "@xyz.nic.in" (where "xyz" represents any string of alphanumeric characters). With Users continuing to use NICeMail user accounts with common email domains across tenures, organisation-specific information stored in such accounts becomes inaccessible to the organisation concerned. Further, lack of domain segmentation and mapping of Users to their current Organisations results in delayed incident response and non-implementation of organisation-specific security policies, monitoring and visibility on User behaviour.

5.3.1 Aside from these concerns related to common mail domains, the use of the domain names "@nic.in" and "@xyz.nic.in" requires change as all such Organisations, including NIC, are Government Organisations.

5.3.2 Therefore, User Organisations that currently use the mail domains "@gov.in", "@nic.in" or "@xyz.nic.in", save as specified in paragraph 5.3.5, shall give NICeMail user accounts having the said mail domains new email addresses having the mail domain "@xyz.gov.in". To ensure continued delivery of emails sent at the existing email addresses, the old email addresses shall be mapped to the new email addresses. Further, to ensure that the user accounts assigned for official communications remain accessible to the Organisation concerned and organisation-specific security measures may be taken, the initial "xyz"

part of the new mail domain shall be registered by the Organisation concerned with NIC on the following lines, namely:—

(a) In respect of organisation-linked email addresses that may be used only for official communications, such initial part of the mail domain shall reflect the name of the concerned Organisation or group of Organisations which are either related or have chosen to share a mail domain. For example, MeitY has registered the mail domain "@meity.gov.in" and for various gram panchayats across India, the mail domain"@panchayat.gov.in" has been registered.

(b) In respect of service-linked email addresses that may be used only for service-related matters, such initial part may reflect,—

(i) where the User is eligible for such an email address (*see* paragraph 5.7.1) and is a member of an organised service other than the General Central Service, the name of such service. For example, for service-related communication with members of the Indian Police Service, the Ministry of Home Affairs has registered the mail domain "@ips.gov.in"; and

(ii)where the User is eligible but not a member of such a service, the Organisation that has appointed such a User on regular basis to a service or post in connection with its affairs (hereinafter referred to as "Appointing User Organisation"), the name of such Appointing User Organisation, with the word "cadre" suffixed to it. For example, for service-related communication with officers of NIC, NIC may register the domain name "@niccadre.gov.in".

5.3.3 Accordingly, the mail domains "@gov.in", "@nic.in" and "@xyz.nic.in" shall cease to be used, although the emails available in the account shall continue to be accessible through the new email addresses and emails sent to the existing email addresses with the said mail domains shall continue to be delivered to the user account of the User concerned.

5.3.4 The mail domain "@xyz.gov.in" may be assigned to a Central Government Department, Court, Constitutional Body, Legislative Body, Other Government-controlled Entity, State Government Department or Statutory Body. In addition, it may be assigned to an Other Authorised Entity or a Public Healthcare Institution for which such assignment is authorised by general or special directions of Competent Authority.

5.3.5 An email address created by a User Organisation using the mail domain "@xyz.gov.in" for a User who is an employee or consultant of or an outsourced human resource provided by an entity contracted by such User Organisation, or is an individual consultant directly engaged by it, shall register with NIC a mail domain that appropriately distinguishes such a User from Users who are employees of or other office-holders in that User Organisation or are serviced by it. Accordingly, in an email address registered for—

(a) an employee or consultant of or an outsourced human resource provided by a contracted entity, the mail domain shall be"@xyz-contractor.gov.in"; and

(b) a directly engaged individual consultant, the mail domain shall be"@xyz-consultant.gov.in".

5.3.6 In respect of a User Organisation other than one that currently uses "@xyz.gov.in" or "@xyz.nic.in" as the mail domain for its Users (for example, "@org.in" or "@ac.in"), the User Organisation may register an appropriate mail domain on similar lines as outlined in clauses (a) and (b) of paragraph 5.3.5, to similarly distinguish Users who are employees or consultants of or outsourced human resource provided by contracted entities or individual consultants directly engaged by such User Organisation from Users who are employees or other office-holders of that User Organisations or serviced by it.

Organisation-linked email address

5.4 A User Organisation which is a Core Use Organisation shall institute suitable arrangements for assigning to every individual who would require email for communication for official purposes of that Organisation, an organisation-linked email address at the time such User joins the Organisation, so that in the absence of a NICeMail user account, such individual and other Users in the Organisation do not resort to use of other email services or other less secure means of electronic communication. User Organisations

which are other than a Core Use Organisation may also choose to create similar organisation-linked email addresses for communication for their official purposes.

5.5 A User Organisation which is provided NICeMail Services free of charge shall ensure deactivation of the organisation-linked email address assigned to a User upon such User ceasing to serve such User Organisation, or to hold office under or be serviced by it, or be engaged for the performance of any contractual, consulting or outsourced services that necessitate that User to have such email address.

5.6 A User Organisation which is provided NICeMail Services free of charge shall assign organisation-linked email addresses in a manner that would serve administrative efficiency while optimising cost to the public exchequer for the provision of such free services.

5.6.1 To so optimise, such User Organisation shall, while assigning email addresses, endeavour to maximise reusability of email addresses on a User ceasing to serve, hold office in or be engaged by that User Organisation, so that the individual assigned all or most of the duties of such User is able to access email correspondence previously exchanged, and the exchange of emails with others previously communicating with that User continues smoothly.

5.6.2 Where assignment of duties in such User Organisation follows an established pattern, this would involve assigning appropriate duty/work-linked usernames. For example, a Joint Secretary in charge of "xyz" Division in MeitY may be assigned the email address "jointsecretary-xyz@meity.gov.in". In case she/he is holding charge of more than one division, distinct similar email addresses may be assigned for each division, to enable reusability across changes in work allocation. Similarly, in case an NIC Scientist is assigned the responsibilities of the Head of Division for the Personnel Division of NIC and is also designated as the Vigilance Officer of NIC, she/he may be assigned the email addresses "hod-personnel@nic.gov.in" and "vigilanceofficer@nic.gov.in".

5.6.3 Where assignment of duties in such User Organisation does not follow an established pattern, or the individual to be assigned the email address is performing duties that may have no foreseeable successor in terms of identifiable units of work, the email address may have other appropriate usernames. For example, an Officer on Special Duty (OSD) who is not in charge of any division, section or other such well-defined unit of work allocation but performs duties of a legal nature that are specifically entrusted to her/him from time to time in MeitY may be assigned the email address "osd-law@meity.gov.in". In case there are multiple such OSDs, each OSD may be assigned distinct email addresses following any basis considered appropriate and reasonable, such as "osd-courtcases@meity.gov.in" and "osd-legislation@meity.gov.in", or "osd1-law@meity.gov.in" and "osd2-law@meity.gov.in".

Service-linked email address

5.7 An Appointing User Organisation that is provided NICeMail Services free of charge may, in addition to organisation-linked email addresses, assign service-linked email address to an eligible individual who is appointed by it on regular basis to a service or post in connection with its affairs. The individual User to whom such email address is assigned may use it only for communications relating to her/his service conditions, till the time such User continues to be appointed on regular basis to such service or post or holds a lien on the same.

5.7.1 The following categories of individuals appointed by such Appointing User Organisation shall be eligible for assignment of a service-linked email address, namely:—

(a) An officer of the rank of Joint Secretary to the Government of India and above; and

(b) Such other officer as Competent Authority may permit by general or special directions.

5.7.2 On or after the date 30 days preceding the date on which such an eligible individual is due to superannuate or retire voluntarily from service, her/his Appointing User Organisation may assign to her/him an email address for use after such superannuation or voluntary retirement and for enabling her/him to transfer from her/his service-linked email address only service condition related emails. The assignment of such new email address shall conform to the following, namely:—

(a) Where the User is a member of an organised civil service, other than the General Central Service, the email address shall have a mail domain that includes "retired" as the prefix to the domain name. For example, the mail domain for an individual who is to or has retired as a member of the Indian Police Service may be "@retiredips.gov.in".

(b) Where the User is a member of any force constituted under the Army Act, 1950, the Air Force Act, 1950 or the Navy Act, 1957, the email address shall have a mail domain that includes "veteran" as the prefix to the domain name. For example, the mail domain for an individual who is to or has retired as a member of such a force may be "@navyveteran.gov.in".

(c) Where the User is not a member of a service as aforesaid, the email address shall have a mail domain that includes "retired" as the prefix to the domain name without the word "cadre". For example, the mail domain for an individual who is to or has retired as an officer of NIC may be "@retirednic.gov.in".

(d) At the option of such User and on the recommendations of the Appointing User Organisation, conveyed to NIC by its DA with the approval of its competent authority, with effect from the date of such superannuation or voluntary retirement or such subsequent date as the User may specify, NIC may enable the sending of an automated response to an incoming email addressed to the service-linked email address of that User, intimating the new email address.

(e) The email address shall be assigned subject to the individual making in advance such payment as NIC may determine from time to time, to meet the operational expenses incurred or likely to be incurred by NIC for the provision of such email address.

6. Use of services

6.1 Sharing of information using NICeMail Services shall be subject to the instructions contained in the Manual of Departmental Security Instructions and the National Information Security Policy and Guidelines issued by the Ministry of Home Affairs, and any other instructions and policy issued by it in this regard.

6.2 Email data and logs shall be preserved for such durations as may be specified by NIC from time to time in the Email Access and Use Instructions. However, on the request of the User Organisation concerned, conveyed to NIC by its DA with the approval of its competent authority, NIC may extend the duration of such preservation.

6.3 An NICeMail user account which is not accessed by the User for a period of 90 days shall stand deactivated. However, on the request of the User Organisation concerned, conveyed to NIC by its DA with the approval of its competent authority, NIC may extend such period, subject to the total period inclusive of extension not exceeding 180 days.

6.3.1 From the date on which the User has not accessed her/his NICeMail user account till the expiry of a period of 180 days, including any period of deactivation during such period of 180 days, the DA concerned may reactivate a deactivated user account.

6.4 In case the account of a User contains content which includes a communication link that connects to a malicious website, or which has an attachment containing malicious code or is intended to deceive a recipient, or is likely to otherwise endanger information security or cybersecurity, NIC may delete, or direct its email solution provider or system integrator to delete, such content from the User's account.

6.5 An organisation-linked email address assigned to a User shall not be mapped to the service-linked email address of such User, and emails received at such organisation-linked email address shall not be automatically forwarded to such User's service-linked email address.

Part III: Functions, duties and responsibilities

7. Functions, duties and responsibilities of NIC

7.1 NIC shall perform the following functions and shall have the following duties and responsibilities, namely:—

(a) To develop the procedure and systems for NICeMail Services;

(b) To provide for such services, including through engagement of a suitable email solution provider and system integrator, and to formulate standard operating procedures and Email Access and Use Instructions for migration of email accounts of existing Users and requiring

User Organisations, DAs and Users to ensure taking of steps in a timebound manner to secure timely migration;

(c) To ensure reasonable security safeguards for information security and cybersecurity and the implementation of appropriate technical and organisational measures in the provision of such services for effective observance of the provisions of this Email Policy; and

(d) To formulate and publish Email Access and Use Instructions, specifying the duties and responsibilities of User Organisations, DAs and Users.

7.2 Without prejudice to the generality of the functions, duties and responsibilities specified in paragraph 7.1, NIC shall perform functions and discharge duties and responsibilities as follows, namely:—

(a) To determine the storage limit for NICeMail user accounts;

(b) To determine Other NICeMail Services that may be made accessible to all or any class of Users through the email solution provided by NIC, including the use of applications integrated with such solution;

(c) For ensuring cyber and information security and facilitating systematic and efficient management of emails,—

(i) to put in place appropriate restrictions and conditions subject to which NICeMail Services and the features and functionalities available in the email solution provided by NIC and the applications integrated with such solution, may be used;

(ii) to put in place reasonable security safeguards to detect and prevent delivery of malicious and suspicious emails;

(iii) where external storage application provided by NIC is integrated with the email solution provided by it, to put in place appropriate policies regarding redirection of emails to such solution and interchange of emails between the user account and the external storage;

(iv) to undertake forensic analysis on any email data that may be identified by it as containing malicious code, or intending to deceive recipient, or likely to otherwise endanger information or cyber security, and to take the assistance of third parties for this purpose; and

(v) to put in place any other appropriate measures that NIC may consider necessary;

(d) To determine the durations or the points in time till which logs shall be preserved; and

(e) To determine the durations or the points in time till which email data shall be stored for a user account which is deactivated and, where external storage application provided by NIC is integrated with the email solution provided by it, for any email data stored in such external storage application.

8. Duties and responsibilities of User Organisations

8.1 Every User Organisation shall have the following duties and responsibilities, namely:—

(a) To designate, with the approval of the competent authority of such User Organisation, on the online portal made available by NIC for User Organisations to designate DAs, one or more public servants, who shall be other than an employee of NIC, as Delegated Administrator, for the discharge of the duties and responsibilities of a DA under this Email Policy and the Email Access and Use Instructions;

(b) To ensure reasonable security safeguards for information security and cybersecurity and the implementation of appropriate technical and organisational measures in the use of NICeMail Services by its Users and the due discharge of the duties and responsibilities of its DA(s), for the effective observance of the provisions of this Email Policy and the Email Access and Use Instructions;

(c) Without prejudice to the generality of the duties and responsibilities specified in clause (b), to have in place mechanisms in the User Organisation to ensure effective observance of the

provisions contained in section 5 of this Email Policy and to ensure User awareness regarding their duties and responsibilities; and

(d) To discharge such other duties and responsibilities as may be specified in the Email Access and Use Instructions.

9. Duties and responsibilities of DAs

9.1 Every DA shall have the following duties and responsibilities, namely:—

(a) On receipt of instructions from the competent authority in her/his User Organisation, to register herself/himself on the online platform made available by NIC for User Organisations to designate DAs, and to update her/his particulars on such platform on expiry of every subsequent period of one year;

(b) On receipt of a request made in this behalf by a User on the online portal made available by NIC for accessing NICeMail, to create and assign to the User a NICeMail user account, in accordance with the provisions contained in section 5 of this Email Policy and the Email Access and Use Instructions;

(c) On an ongoing basis, to update particulars of Users on the online portal made available by NIC for DAs to discharge their duties and responsibilities, to deactivate NICeMail user accounts as required and to discharge her/his duties and responsibilities under this Email Policy and the Email Access and Use Instructions;

(d) To take all necessary steps for ensuring adherence by her/his User Organisation to its duties and responsibilities under this Email Policy and the Email Access and Use Instructions; and

(e) To discharge such other duties and responsibilities as may be specified in the Email Access and Use Instructions.

10. Duties and responsibilities of Users

10.1 Every User shall have the following duties and responsibilities, namely:—

(a) To ensure adherence to this Email Policy and the Email Access and Use Instructions;

(b) Without prejudice to the generality of the duties and responsibilities specified in clause (a),—

(i) if she/he belongs to a User Organisation which is a Core Use Organisation, to use only the organisation-linked email address assigned to her/him for the performance of her/his official duties;

(ii) to not use such organisation-linked email address for any purpose other than the performance of her/his official duties;

(iii) to not use the service-linked email address assigned to her/him for the performance of her/his organisation-linked official duties;

(iv) to not use such service-linked email address for purposes other than those connected with service matters, save where such email address is assigned to her/him for use after retirement;

(v) to not use her/his NICeMail address for registering on any social media or other websites or mobile applications, save for the performance of her/his official duties or with due authorisation from the authority competent in her/his User Organisation to so authorise; and

(vi) to intimate forthwith to the DA concerned, any changes in her/his particulars as registered by her/him on the online portal made available by NIC for accessing NICeMail, including through such portal.

11. Provisions regarding email addresses previously assigned

11.1 The provisions contained in this Email Policy shall also apply, *mutatis mutandis*, to User Organisations and Users existing on, and email addresses assigned before, the date of its publication in the Official Gazette.

11.2 NIC shall coordinate with DAs and NICSI for securing adherence to this Email Policy by User Organisations in respect of such previously assigned email addresses, and DAs and their User Organisations shall ensure that necessary steps are taken to give effect to the Email Access and Use Instructions in this regard.

11.3 While the provisions contained in this Email Policy shall apply from the date of its publication in the Official Gazette, insofar as adherence to the provisions contained in section 5 of this Email Policy in respect of previously assigned email addresses is concerned, User Organisations shall ensure the same within a period of six months from the said date, or such longer period as Competent Authority may, by general or special directions, allow in respect of a User Organisation or class of User Organisations.

11.3.1 In the following categories of cases of user accounts that were previously assigned to a User and are not in conformity with the provisions contained in section 5, the email address of such an account may be mapped to another NICeMail user account of such User that conforms with the said provisions, for the purposes of the delivery of the incoming emails sent to such address, for such period as is specified below, namely:—

(a) Where the mail domain of the User Organisation is changed, mapping as aforesaid may be done by NIC for an unrestricted period, save where NIC decides to restrict the same for any reason.

(b) Where the user account is assigned by a User Organisation that is provided NICeMail Services free of charge and such account is not in conformity with the provisions contained in paragraphs 5.6.2, 5.6.3 and 5.7.1, mapping as aforesaid may be done by NIC for a period of one year from the date of such mapping, or such longer period as Competent Authority may, by general or special directions, allow in respect of a User Organisation, class of User Organisations or class of Users.

(c) Where the user account is—

(iii) assigned by a User Organisation that is provided NICeMail Services free of charge to a User who has ceased to serve such User Organisation, or to hold office under or be serviced by it, or to be engaged for the performance of any contractual, consulting or outsourced services that necessitate that User to have such email address, or to be appointed by it on regular basis to a service or post in connection with its affairs or hold a lien on the same; and

(iv) not in conformity with the provisions contained in paragraph 5.7.2,

mapping to her/his service-linked email address may be done by NIC only on the instructions of that User Organisation, conveyed by its DA with the approval of its competent authority, for a maximum period of three months from the date of such cessation. While issuing any such instruction, the User Organisation shall take into account—

(1) any exigent circumstance or functional necessity; and

(2) any information security risk that is likely to arise from the flow of information to and from such user account, which is assigned for official communications to such User who is no longer in the employment of or otherwise engaged by it.

12. Adherence to Email Policy

12.1 Every User Organisation shall exercise due diligence and take all necessary measures to ensure due adherence to the Email Policy and the Email Access and Use Instructions by such User Organisation, its DA(s) and its Users.

12.2 Every DA shall exercise due diligence and take all necessary steps to ensure due adherence to the Email Policy and the Email Access and Use Instructions by her/his User Organisation and its Users.

12.3 Every User shall adhere to the Email Policy and the Email Access and Use Instructions.

12.4 Every User Organisation, DA and User shall expeditiously report or cause to be reported to NIC in accordance with such manner as may be specified in the Email Access and Use Instructions, every cyber incident relating to NICeMail Services that comes to her/his knowledge.

12.5 NIC shall monitor and review the use of NICeMail Services and cyber incidents reported to it by User Organisations, DAs, Users and others and may require any User Organisation, DA or User to take such measures, including proactive and preventive measures, as it may specify for rectifying or remediating any non-adherence, or mitigating a cyber incident.

12.5.1 In case of non-adherence of a grave or repetitive nature, NIC may suspend the provision of all or any NICeMail Services to the User Organisation, DA or User concerned, while intimating to such Organisation, DA or User, as the case may be, in writing, of the reasons for such suspension and giving them a notice either specifying any measures that it/she/he may be required to take for the restoration of such Service(s) or giving them an opportunity to show cause why such Service(s) may not be withdrawn, for responding to the same within such period as the notice may specify.

12.5.2 Upon receipt of response to such notice or expiry of such period, NIC may proceed to take a decision regarding restoration or continuance of suspension or withdrawal of Service(s), keeping in view the response received, if any, and shall communicate such decision in writing to the Organisation, DA or User concerned.

12.6 Any person aggrieved by any intimation of suspension of any Service, or the continuance of such suspension, or the withdrawal of any Service, may prefer an appeal in writing to the Competent Authority, whose decision shall be final and binding.

12.7 Any suspension or withdrawal of Service(s) shall be without prejudice to the rights of NIC and the Government to take any other administrative or legal action.

13. Repeal

13.1 This Email Policy is in supersession of the E-mail Policy published in the Official Gazette, *vide* Ministry of Communication and Information Technology's Notification F. No. 2(22)/2013-EG-II, dated 18.2.2015.

***

SANKET BHONDVE, Jt. Secy.

Annex

Organisation type

(*see* paragraph 2)

S. No.	Organisation type	Description
(1)	(2)	(3)
1.	Central Government Department	Means a ministry, department, secretariat or office specified in the First Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, and includes an attached office or subordinate office thereof.
2.	Legislative Body	Means a body empowered by the Constitution to enact legislation, and includes the following bodies and the secretariats thereof, namely:— (a) Lok Sabha; (b) Rajya Sabha; (c) a Legislative Assembly or Legislative Council of a State; (d) the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi; and (e) a local Legislature of a Union territory.
3.	Court	Means— (a) a court of law; and (b) other adjudicatory body, established by or under the Constitution or any law for the time being in force in the whole or any part of India, and includes the registry, secretariat or office thereof.

4.	Constitutional Body	Means an office or a body established by or under the Constitution, and— (a) includes an authority, board, commission, committee or council by or under the Constitution; and (b) does not include any of the following, or any secretariat or office thereof, namely:— (i) the Central Government; (ii) a State Government; (iii) a UT Government/Administration; (iv) a Legislative Body; (v) a Court; and (vi) a local government.
5.	State Government Department	A ministry, department, secretariat or office— (a) specified in the rules made by the Governor under clause (3) of article 166 of the Constitution, for the allocation of the business of the Government of the State; and (b) a department of a UT Government, and includes an attached office or subordinate office thereof.
6.	Statutory Body	Means— (a) an office; and (b) a body, including an authority, board, commission, committee or council, established by or under the any law for the time being in force, and includes the secretariat or office thereof, but does not include a Constitutional Body, a Public Educational or Research Institution, a Public Healthcare Institution or a Public Sector Enterprise.
7.	Public Educational or Research Institution	Means— (a) an institution of learning that imparts education, including vocational education, or engages in and which— (i) is established, incorporated, owned, controlled or recognised— (1) by or under a Central Act; (2) by or under a Provincial Act or a State Act, but does not include a University whose Chancellor is other than the Governor of the State concerned; (3) by the Central Government, a State Government or a local government; or (4) by a body established by law for the co-ordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions and is empowered to regulate such institutions; (ii) is declared as an institution deemed to be University under the Universities Grants Commission Act, 1956, or is affiliated to a University; or (b) an institution that engages in research, and includes a scientific or technical institution established by or under law for the time being in force in the whole or any part in India or by the Central Government, a State Government or a UT Government.
8.	Public Healthcare Institution	Means an entity which is— (a) a hospital, maternity home, nursing home, dispensary, clinic, sanatorium or institution that offers services, facilities requiring diagnosis, treatment or care in any recognised system of medicine, as referred to in sub-clause (i) of clause (c) of section 2 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010; or (b) a place connected with the diagnosis or treatment of diseases or investigative services with the aid of laboratory or other medical equipment, as referred to in sub-clause (ii) of the said clause, and which is owned, controlled or managed by— (i) a Central Government Department;

		(ii) a State Government Department; (iii) a body under the overall control of a Central Government Department or a State Government Department, and includes— (1) an Autonomous Body; and (2) a not-for-profit Government company; (iv) a local government; or (v) a force constituted under the Army Act, 1950, the Air Force Act, 1950 or the Navy Act, 1957, and which is not a Public Educational or Research Institution.
9.	Public Sector Enterprise	Means a public sector enterprise of the Central Government, a State Government or a UT Government, but does not include a not-for-profit Government company.
10.	Other Government-controlled Entity	Means a body, whether incorporated or not, which— (a) is under the overall control of a Central Government Department or a State Government Department, and includes— (i) an Autonomous Body; and (ii) a not-for-profit Government company; and (b) is not a Public Educational or Research Institution or a Public Healthcare Institution.
11.	Other Authorised Entity	Means a body, whether incorporated or not, which does not fall within any of the other categories of Organisations and which is— (a) a User Organisation on the date of publication of this Email Policy in the Official Gazette; or (b) authorised the use of NICeMail Services by or under general or special directions of Competent Authority.

Notes:

1. No project, scheme, programme or initiative, by whatever name called, or a team, administrative division, etc. in charge of such project etc., shall be considered as a body, court, department, enterprise, entity, institution, ministry, office or secretariat that is included in any of the organisation types listed in this Annex.

2. In this Annex,—

(a) "Autonomous Body" means a body established by the Central Government, a State Government or a UT Government to discharge activities or functions related to execution or implementation of government policies and which are given autonomy for the discharge of their functions, and does not include a Constitutional Body or a Statutory Body;

(b) "not-for-profit Government company" means a company that is—
(i) registered under section 25 of the Companies Act, 1956 or section 8 of the Companies Act, 2013; and
(ii) a Government company as defined in the Companies Act, 2013;

(c) "University" means a university as defined in the Universities Grants Commission Act, 1956; and

(d) "UT Government" means the—
(i) the government of a Union territory with Legislature; and
(ii) the administration of any other Union territory.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.30 15:51:04 +05'30'